65 साल की उम्र तक अब मध्य प्रदेश में नौकरी कर सकेंगे प्राइवेट कॉलेजों के प्रोफेसर। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में मप्र हाई कोर्ट के पूर्व आदेश को अनुचित बताते हुए निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव व जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने मप्र सरकार को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

वेल्डिंग मशीन से काटने के बाद टोइंग वैन से उठा ले गए एटीएम

- एमटीएम मशीन में थे 9.55 लाख रुपये
- चोरों ने टोइंग वैन जहां से चुराई, वारदात के बाद वहीं खड़ी कर दी

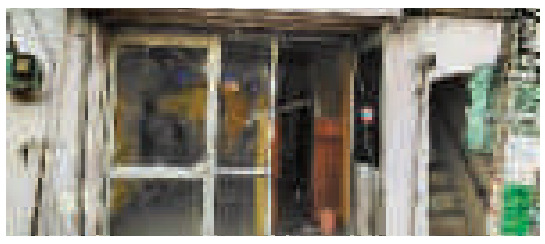

मंगलवार मध्य रात्रि रूपनगर के शिवालिक ऑटो मोबाइल शोरूम में लगे आइसीआइसीआइ बैंक के एटीएम को चोर उखाड़ ले गए।

जागरण संवाददाता, रूपनगर

पंजाब में सक्रिय एटीएम चोर गिरोह मंगलवार मध्य रात्रि सैनिक रेस्ट हाउस के सामने शिवालिक ऑटो मोबाइल शोरूम में लगे आइसीआइसीआइ बैंक के एटीएम को उखाड़कर ले गया। एटीएम में 9.55 लाख रुपये की नकदी थी। आरोपितों ने वारदात में जिस टोइंग वैन का इस्तेमाल किया, वह भी चोरी की थी। चोर गिरोह के सदस्य होंडा सिटी कार में आए थे।

शोरूम का शटर तोड़ने के बाद आरोपित मौके पर टोइंग वैन लेकर आए और एटीएम को उठाकर ले गए। ये टोइंग वैन स्थानीय वासु क्रेन की थी, जिसे आरोपित चुरा कर लाए थे। डेढ़ घंटे बाद चोरों ने टोइंग वैन उसी जगह खड़ी कर दी, जहां से चुराई थी। एटीएम में नौ लाख 55 हजार 100 रुपये की नकदी थी। चोरों ने एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ऊपर की तरफ कर दिए। हालांकि पास ही टायर की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी वारदात कैद हो गई। रूपनगर के एसएचओ सुनील कुमार मौके ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इससे पता चला कि जो टोइंग वैन इस्तेमाल हुई है वह शहर की है। मौके पर उसके मालिक वासु को बुलाया गया। यहां वासु ने कहा कि उनकी टोइंग वैन तो नंगल चौक में उनकी दुकान के पास खड़ी है। गौर हो कि उनके पड़ोसी सोनू की टोइंग वैन भी इसी तरह परमाणु में हुई एटीएम मशीन चोरी की वारदात में चोरों ने इस्तेमाल की थी।

चोरों ने इस तरह की वारदात : चोरों ने मंगलवार देर रात 1.50 बजे दुकान का शटर तोड़ा और अंदर एटीएम का एल्यूमीनियम का दरवाजा तोड़ा। इसके बाद कांच तोड़कर शोरूम में दाखिल हुए। शोरूम का मुआयना किया। फिर चोरों ने मशीन में लगे नटों को वेल्डिंग मशीन से काटा। इसके बाद एटीएम को वेल्डिंग मशीन से काटा और फिर मौके पर टोइंग वैन लाकर एटीएम उठाकर स्टेशन मार्ग की तरफ गए।

छत्तीसगढ़ में दो और ओडिशा में पांच नक्सली मुठभेड़ में ढेर

जवाब ▶ छत्तीसगढ़ के जंगल में बुधवार सुबह हुआ था आमना-सामना

नईदुनिया, दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की महिला कमांडो ने बुधवार सुबह दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की सीमा पर गोंडेरास के जंगल में हुई मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में एक महिला व एक पुरुष हैं। महिला नक्सली का शव बरामद हो गया है, जबकि पुरुष का शव साथी नक्सली ले जाने में सफल रहे। मौके से एक इंसास रायफल, एक 12 बोर बंदूक, मैग्जीन सहित बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। महिला कमांडोज की टीम में शहीद जवानों की पत्नियां व आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली शामिल हैं। उधर, ओडिशा के कोरापुट जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने पांच और नक्सलियों को मार गिराया।

छग के दंतेवाड़ा में बुधवार को हुई मुठभेड़ में दो नक्सलियों को ढेर करने वाली दंतेश्वरी फाइटर्स की टीम।

आइजी बस्तर विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि जिले के नक्सल मोर्चे पर महिला कमांडो की भी तैनाती कर दी गई है। इन्हें दंतेश्वरी फाइटर्स नाम दिया गया है। गोंडेरास के जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर मंगलवार डीआरजी व एसटीएफ की टीम रवाना की गई थी। इनमें 12 महिला कमांडो थीं। सुबह करीब छह बजे जंगल में करीब आधे घंटे की मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। मौके से एक महिला नक्सली का शव मिला है, जिसकी शिनाख्त केरलपाल एलओएस कमांडर गंगी के रूप में की गई है। एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने कुछ नक्सलियों के गंभीर रूप से घायल होने का भी दावा किया है। बताया जाता है कि जंगल में दरभा डिवीजन के कटेकल्याण से लेकर सुकमा जिले तक कार्य करने वाले साईनाथ उर्फ चैतू उर्फ श्याम, विनोद, देवा, गुंडाधूर जैसे नक्सली लीडर समेत करीब सौ नक्सलियों का जमावड़ा था, जो भागने में सफल रहे।

वहीं, कांकेर जिले में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने फिर एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी है।

कोरापुट में तीन महिला समेत पांच नक्सली ढेर : संबलपुर: ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमा पर स्थित कोरापुट जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने पांच और नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सली आंध्रा- ओडिशा बॉर्डर जोनल समिति के नंदपुर एरिया समिति के बताए गए है। हालांकि उनकी पहचान नहीं हो सकी है। कोरापुट के पुलिस अधीक्षक कुंवर विशाल सिंह ने मुठभेड़ और मारे गए नक्सलियों की पुष्टि की है।

सर्जरी के बाद पेट में छोड़ दिया 12 सेंटीमीटर का पाइप

राजन सैनी, चंडीगढ़

सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने महिला के पेट में 12 सेमी का पाइप छोड़ दिया। वह गाल ब्लैडर (पित्ताशय) में पथरी का ऑपरेशन करवाने अस्पताल गई थी। जब इसका पता मरीज को चला तो उसकी शिकायत के बावजूद डॉक्टरों ने अपनी गलती मानने से इन्कार कर दिया। न्याय के लिए मरीज ने कंज्यूमर फोरम की शरण ली। अब फोरम ने अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट और दो सर्जन पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल(जीएमएसएच) का है। फोरम ने मरीज को दो लाख रुपये मुआवजा राशि भी देने का आदेश दिया है। दोषियों को उसे 50,000 रुपये केस खर्च अलग से देने होंगे।

फोरम ने कहा है कि अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट और दोनों सर्जन डॉ. डाबर व डॉ. बाल 30 दिन के अंदर आदेश का पालन करें। शिकायतकर्ता उषा वर्मा हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली हैं। उन्होंने फोरम में याचिका दायर कर 19 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में बताया था कि दोनों सर्जन ने उनके दो ऑपरेशन किए और 1,80,000 रुपये फीस ली। दवा पर खर्च अलग से।

सर्जनों ने दिया यह जवाब : दोनों सर्जन ने अपनी दलील में कहा कि उनके द्वारा ऑपरेशन से पहले और बाद में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। पाइप किसी कारण से टूटकर पेट के अंदर रह गई होगी। ऐसा मरीज के ज्यादा मूवमेंट के कारण हो सकता है। बताया कि उन्होंने जब सिटी स्कैन कराया तो उन्हें अंदर कुछ दिखाई दिया था। इसके लिए मरीज को ऑपरेशन करवाने की सलाह दी गई थी, लेकिन मरीज ने बार-बार यही कहा कि वह बिल्कुल ठीक है।

कंज्यूमर फोरम का फैसला

- अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट और दो सर्जन पर चार लाख रुपये का जुर्माना
- दो लाख रुपये मुआवजा और 50 हजार केस खर्च अलग से देने होंगे

यह था मामला

16 अक्टूबर 2015 को जीएमएसएच, चंडीगढ़ में उषा वर्मा का ऑपरेशन कर पथरी निकाली गई थी। 19 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन उनकी बॉडी में ड्रेन पाइप लगी हुई थी। 21 अक्टूबर को उषा अस्पताल में ड्रेन पाइप निकलवाने पहुंचीं। सर्जन ने उनके पेट में लगी ड्रेन पाइप को आधा ही निकाला। इस तरह 12 सेंटीमीटर की पाइप उषा के पेट के अंदर ही रह गई। 26 अक्टूबर को उषा का सिटी स्कैन किया गया। 28 अक्टूबर को उषा दोबारा अस्पताल में एडमिट हुई और उनकी दोबारा सर्जरी की गई। 29 अक्टूबर को पाइप निकाल दी गई। 31 अक्टूबर को उषा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

आठ माह में नेताओं पर आतंकी हमलों की जांच के आदेश

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार को विगत आठ माह के दौरान विभिन्न राजनीतिक नेताओं पर हुए आतंकी हमलों की जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में एक सुरक्षित राजनीतिक व प्रशासनिक माहौल बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने का भी फैसला किया है। राजनीतिक नेताओं पर हुए हमले की जांच का जिम्मा एडीजीपी सिक्योरिटी मुनीर अहमद खान को सौंपा गया है। वह सभी संबंधित पहलुओं का जिक्र करते हुए सुरक्षा व्यवस्था में सुधार संबंधी सिफारिशों के साथ समग्र रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर देंगे।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि राजभवन में बुधवार को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य का समग्र जायजा लिया। उन्होंने चुनावों के मद्देनजर किए गए सुरक्षा प्रबंधों, पहली जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा और राजनीतिक नेताओं व कार्यकर्ताओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों से फीडबैक लिया। बैठक में राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार, राज्य के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम, राज्य पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह, राज्यपाल के प्रमुख सचिव उमंग नरूला, प्रधान सचिव गृह विभाग शालीन काबरा, एडीजीपी सिक्योरिटी मुनीर अहमद खान और आइजीपी कश्मीर एसपी पाणि ने भी भाग लिया। राज्यपाल ने बीते कुछ महीनों के दौरान राज्य में हुई विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की हत्याओं पर रोष व चिंता जताते हुए संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि वह जमीनी स्तर पर काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तर्कसंगत चिंताओं पर ध्यान दें और उन्हें दूर करें।

- जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने एडीजीपी सिक्योरिटी को सौंपी जिम्मेदारी
- सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 15 दिनों के भीतर देंगे रिपोर्ट
- राज्यपाल ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने का लिया फैसला

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल के निर्देश पर मौके पर ही राज्य गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर एडीजीपी सिक्योरिटी को अक्टूबर 2018 से राज्य में हुई विभिन्न राजनीतिक हत्याओं की जांच करने व सुरक्षित वातावरण प्रदान करने संबंधित सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। बैठक में पंच-सरपंचों, स्थानीय निकायों के कौंसिलरों व कॉरपोरेटरों की सुरक्षा पर भी विचार विमर्श के बाद तय किया गया कि अगर इनमें से किसी को सुरक्षित आवासीय सुविधा चाहिए तो उन्हें राज्य या जिला स्तर पर एक सुरक्षित आवासीय सुविधा दी जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि राजनीतिक दलों व अन्य संगठनों के नेताओं को अपने सुरक्षा संबंधी मामलों को सुरक्षा मुख्यालय जम्मू कश्मीर पुलिस के नोटिस में लाना चाहिए। उन्हें सुरक्षा चक्र प्रदान करने या न करने संबंधी किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले खुफिया एजेंसियों को आतंकी खतरे का पूरा आकलन करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश न रहे।

यह है मामला : आतंकियों ने गत शनिवार को अनंतनाग में भाजपा के जिला उपप्रधान गुल मुहम्मद मीर की हत्या कर दी थी। इसके विरोध में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया और राज्य प्रशासन के सियासी नेताओं की सुरक्षा वापस लेने के फैसले को गलत ठहराया। विरोध स्वरूप भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री अशोक कौल ने अपनी सुरक्षा भी लौटा दी। इससे पूर्व पीडीपी और नेकां भी नेताओं की सुरक्षा वापसी का विरोध करती रही हैं।

पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या की एनआइए जांच की मांग

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण लोकतंत्र को कमजोर बनाने की मुहिम के तहत पंचों और सरपंचों पर आतंकी हमलों के मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से जांच करवाई जाए। जम्मू कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस ने बुधवार दोपहर जम्मू में प्रदर्शन कर यह मांग उठाई।

भाजपा नेता और सरपंच गुल मुहम्मद मीर की अनंतनाग के वेरीनाग में आतंकी हमले में मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे पंच और सरपंच मांग कर रहे थे कि मीर की सुरक्षा वापस लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप था कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में 18 पंच व सरपंच आतंकी हमलों में मारे गए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया है। बुधवार दोपहर प्रदर्शनी मैदान के निकट प्रदर्शन का नेतृत्व पंचायत कांफ्रेंस के राज्य प्रधान अनिल शर्मा ने किया। पंचों व सरपंचों का कहना था कि राज्य प्रशासन ने पंचायत प्रतिनिधियों की जिंदगी दांव पर लगा दी है।

अलवर सामूहिक दुष्कर्म मामले में सियासत गरम

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान में अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में पति को बंधक बनाकर दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में प्रदेश की सियासत गरमा गई है। सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में भाजपा ने प्रदर्शन किया है। सीबीआइ जांच के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस्तीफा मांगा। उधर, सरकार ने पीड़िता को चार लाख बारह हजार रुपये की आर्थिक मदद दी है। पुलिस ने अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें दो दुष्कर्म के आरोपित और एक वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला युवक शामिल है। गौरतलब है कि इस मामले में संबंधित थाने के प्रभारी सरदार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। मंगलवार रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश पर अलवर के एसपी राजीव पचार को भी हटा दिया गया था।

गत 26 अप्रैल को अलवर जिले में पति व पत्नी बाइक पर गांव लालवाड़ी से तालवृक्ष जा रहे थे। थानागाजी-अलवर बाईपास रोड पर दुहार चौगान वाले रास्ते में पांच युवकों ने उन्हें रोका और पति को बंधक बनाकर मारपीट की। इसके साथ ही पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। पीड़ित पति-पत्नी 30 अप्रैल को अलवर एसपी के पास पहुंचे थे। इसके बाद थानागाजी पुलिस थाने में दो मई को मामला दर्ज किया गया। वीडियो वायरल होने पर घटना छह मई को सार्वजनिक हुई। इसके बाद मामला दर्ज किया गया। इससे पहले पुलिस ने चुनाव के कारण मामले को दबाए रखा। इस मामले में भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की अगुआई में बुधवार को सैकड़ों लोगों ने जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर प्रदर्शन किया। मीणा ने इस मामले की सीबीआइ जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा। उन्होंने आरोपितों को फांसी की मांग करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान नहीं हो, इस कारण मामले को एक सप्ताह तक दबाए रखा गया। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर 11 मई को अलवर में प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों को राज्य विधानसभा में भाजपा के उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी संबोधित किया। प्रदर्शन को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। उधर, अलवर, दौसा, थानागाजी में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर सीएम से इस्तीफा मांगा।

गहलोत बोले-घटना दुर्भाग्यपूर्ण: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले की कड़ी निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है।

फरार आरोपितों की तलाश मप्र, उप्र व दिल्ली में

सामूहिक दुष्कर्म और वीडियो वायरल होने के मामले में अब तक तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोपित मुकेश गुर्जर भी शामिल है। दुष्कर्म के एक आरोपित इंद्रराज गुर्जर को मंगलवार शाम गिरफ्तार किया गया था और एक अन्य आरोपित अशोक गुर्जर को बुधवार सुबह गिरफ्तार किया गया। दुष्कर्म के तीन अन्य आरोपित महेश गुर्जर, छोटेलाल और हंसराज गुर्जर अभी फरार हैं। फरार आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस की 14 टीम मध्य प्रदेश के इंदौर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में भेजी गई है। राज्य सरकार ने मंगलवार रात पुलिस अधीक्षक राजीव पचार को हटाते हुए थाना अधिकारी सरदार सिंह को निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही एएसआइ रूपनारायण, सिपाही राम रतन, महेश कुमार व राजेंद्र को लाइन हाजिर किया गया है। थानागाजी थाने में 29 पुलिसकर्मियों का स्टाफ है। सरकार ने पूरे थाने की जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

पिछले साल की फ्लैट बुकिंग कैंसल कराई तो जीएसटी वापस

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले वित्त वर्ष में फ्लैट की हुई बुकिंग को यदि घर खरीदार कैंसल करता है, तो उस पर ग्राहक से वसूला गया जीएसटी बिल्डर को वापस करना होगा। टैक्स विभाग ने साथ ही कहा कि इस रिफंड को बिल्डर जीएसटी की अन्य देनदारियों के साथ एडजस्ट कर सकता है। यह स्पष्टीकरण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने रियल एस्टेट सेक्टर के संबंध में बार-बार पूछे जाने वाले सवालों की जारी की गई एक ताजा सूची (एफएक्यू) में दिया है।

यह एफएक्यू माइग्रेशन प्रावधान पर भ्रम को दूर करने के लिए जारी किया गया है। माइग्रेशन प्रावधान के तहत बिल्डर्स एक अप्रैल 2019 से आवासीय इकाइयों के मामले में पांच फीसद की जीएसटी दर और सस्ती आवासीय इकाइयों के मामले में एक फीसद की जीएसटी दर अपना सकते हैं। इन मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में बिल्डरों को यह सुविधा दी गई है कि वे जीएसटी की नई या पुरानी दर व्यवस्था में से कोई भी अपना सकते हैं।

अखाड़ा परिषद कराएगी स्वामी आनंद गिरि प्रकरण की जांच

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में महिलाओं से अभद्रता के आरोप में फंसे निरंजनी अखाड़ा के श्रीमहंत योगगुरु स्वामी आनंद गिरि के पक्ष में कानूनी पैरवी चल रही है। उन्हें जल्द जमानत दिलाने के लिए उनके गुरु व शिष्य सक्रिय हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रकरण की जांच कराने का निर्णय लिया है। विदेशों में मौजूद अलग-अलग अखाड़ों के महात्मा मामले की जांच करेंगे। यह जांच कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार से शुरू होगी।

अखाड़ा परिषद अपनी निष्पक्षता व महात्माओं की बेदाग छवि पर विशेष ध्यान रखता है। किसी महात्मा पर कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच कराई जाती है। दोषी मिलने पर अखाड़ा से बाहर कर दिया जाता है। वहीं बेदाग छूटने पर महात्मा का सम्मान किया जाता है। आनंद गिरि के प्रकरण में भी वही नियम अपनाया जाएगा। आरोप विदेश में लगा है इसलिए वहां मौजूद दस महामंडलेश्वर जांच करेंगे। वे 20 दिन में अपनी रिपोर्ट अखाड़ा परिषद को देंगे। अखाड़ा परिषद के कानूनी सलाहकार व निर्मोही अनी अखाड़ा के अध्यक्ष श्रीमहंत राजेंद्र दास का कहना है कि अखाड़ा परिषद में सबके लिए नियम बराबर है। अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि का कहना है कि निष्पक्षता, सच्चाई व समर्पण हमारी ताकत है। इसे बनाए रखने के लिए शुक्रवार को ऊपरी कोर्ट में सुनवाई होने के बाद पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी।

- सिडनी में महिलाओं से अभद्रता के आरोपित हैं श्रीमहंत योगगुरु

इन बिंदुओं पर होगी जांच

- आनंद गिरि किन-किन देशों में भ्रमण करते हैं?
- विदेशों में कहां और किसके साथ रहते हैं?
- विदेशों में उनकी क्या गतिविधियां हैं?
- आरोप लगाने वाली महिलाएं उनसे कब से संपर्क में हैं और वे क्या करती हैं?

मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे से बाहर निकला वायुसेना का विमान

मुंबई, प्रेट्र : वायुसेना का एक परिवहन विमान (एएन-32) मंगलवार रात मुंबई के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरने के दौरान मुख्य रनवे से बाहर निकल गया। इस घटना के बाद लगभग 17 घंटे तक रनवे को बंद रखना पड़ा, जिससे दर्जनों उड़ानें प्रभावित हुईं।

सूत्रों ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात 11 बजकर 39 मिनट पर तब हुई जब विमान बेंगलुरु के निकट येलहंका एयरबेस के लिए उड़ान भर रहा था। हादसे के बाद रनवे से सभी प्रकार की उड़ानें रोक दी गईं। लगभग 17 घंटों की मशक्कत के बाद बुधवार चार बजकर 50 मिनट पर एक बार फिर से रनवे से उड़ानें शुरू हो सकीं। वहीं रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि तकनीकी समस्या के चलते विमान उड़ान नहीं भर सका और रनवे से बाहर निकल गया। विमान और चालक दल दोनों सुरक्षित हैं। विमान को ठीक करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की टीम पहुंच गई है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है।

महाराष्ट्र में बढ़ा पानी का संकट

गर्मी की शुरुआत होते ही पानी के भीषण संकट से जूझते ग्रामीणों की यह तस्वीर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के गांव नान्नज की है। पानी के लिए यहां सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं। सूखाग्रस्त इस जिले में जलसंकट की वजह से कई सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लोग इस गांव में अपनी बेटी की शादी तक नहीं करते। आज भी दो सौ से ज्यादा युवक दुल्हन के इंतजार में हैं। प्रेट्र

मोटापे से निजात

बिना सहारे हिलना-डुलना भी था मुश्किल, आठ साल बेड पर गुजारे, अब है 86 किलो वजन, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की तैयारी

एशिया की सबसे वजनी महिला ने कम किया 214 किलो वजन

मुंबई, आइएएनएस : कभी एशिया की सबसे वजनी महिला मानी जाने वाली महाराष्ट्र के पालघर की एक महिला ने चार साल के अंदर 214 किलोग्राम वजन कम करने का कारनामा कर दिखाया है। उसके डॉक्टर शशांक शाह ने बुधवार को इसकी घोषणा की। महिला का वजन तीन सौ किलोग्राम से भी अधिक था।

इस महिला की पहचान पालघर के वसई निवासी 42 वर्षीय अमृता रजनी के रूप में हुई है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई पैदाइशी बीमारी थी। जब वह पैदा हुई थी तब सामान्य बच्चों की तरह उसका वजन तीन किलो था। लेकिन छह साल के होने पर अचानक उसका वजन बढ़ने लगा और 16 साल की होते-होते उसका वजन 126 किलो हो गया था।

अमृता के बढ़ते वजह से चिंतित उसके घरवालों ने देश और दुनिया के कई डॉक्टरों से संपर्क किया। लेकिन किसी के इलाज का उस पर असर नहीं हुआ। धीरे-धीरे उसे अपने रोज के काम करने में दिक्कत होने लगी। भारी वजन से उसका आत्मविश्वास भी डगमगा गया। उसने घर से निकलना छोड़ दिया। लेकिन बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में लैपराओबेसो सेंटर के संस्थापक शशांक शाह ने उसकी दुनिया ही बदल दी। अमृता ने कहा, 'पिछले आठ साल से वह पूरी तरह से बेड तक सिमट कर रह गई थी। लेकिन डॉ. शाह ने वजन कम करने में उसकी मदद की। इसके चलते अब वह पूरी तरह से आजाद है। खुद से चलती है। अपनी पसंद के कपड़े पहनती है और सामान्य जीवन का पूरा आनंद उठा रही है। अमृता की मां ममता रजनी ने बताया कि तीन सौ किलो से ज्यादा वजन होने के बाद बिना घरवालों की मदद से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी।

अमृता की चार साल पहले की तस्वीर (बाएं) और आज की तस्वीर।

- किडनी, ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज जैसी बीमारियों से भी मिली मुक्ति

डॉ. शाह ने बताया कि अमृता पहली बार उनके पास 2015 में आई थी। तमाम जांच के बाद उन्होंने उसकी सर्जरी करने का फैसला किया। उसे अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस में सोफा लगाना पड़ा था। अस्पताल में उसके लिए खास तरह के बेड का इंतजाम किया गया। 2015 और 2017 में उसकी दो सर्जरी हुई थी।

सर्जरी के बाद उसका वजह कम होने लगा और इस समय उसका वजन 86 किलो है। उसे अब किडनी, ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज जैसी बीमारियों से भी मुक्ति मिल गई है। डॉ. शाह ने बताया कि अब उसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने ने वजन बढ़ने की बीमारी की गंभीरता का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि बदलते पर्यावरण के प्रभाव से लोगों का वजन बढ़ रहा है।

आमदनी नहीं, फिर भी जाकिर नाइक ने भारतीय खातों में जमा कराए 49 करोड़ : ईडी

मुंबई, प्रेट्र : मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित विवादित इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नाइक की ज्ञात स्रोत से कोई आमदनी नहीं है, इसके बावजूद उसने भारतीय बैंक खातों में 49 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा कराई है। विशेष अदालत में दाखिल आरोपपत्र में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह दावा किया है।

जाकिर नाइक फिलहाल मलेशिया में रह रहा है। जज एमएस आजमी ने बुधवार को उसके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। इसमें ईडी ने कहा है, 'इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नाइक व्याख्यान देने के लिए दुनियाभर में घूमता रहता है, किसी भी ज्ञात रोजगार और कारोबार से उसकी आमदनी का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है। ऐसी स्थिति में भी वह भारतीय बैंक खातों में 49.20 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने में सफल रहा।' ईडी का कहना है कि इस अपराध में कुल रकम 193.06 करोड़ रुपये है।

जांच एजेंसी के मुताबिक, जाकिर नाइक ने इस रकम का इस्तेमाल अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर पुणे और मुंबई में संपत्तियां खरीदने में किया। उसने कुछ रकम अपनी कंपनी हार्मनी मीडिया के बैंक खातों में स्थानांतरित की। इस कंपनी पर नाइक का खुद एवं अपने निदेशकों के जरिये सीधा नियंत्रण है। इसके अलावा उसने उक्त धनराशि का इस्तेमाल चेन्नई में एक स्कूल के निर्माण और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भी किया।

बता दें कि जांच एजेंसी ने अब तक नाइक के दो सहयोगियों आमिर गजदार और नजामुद्दीन साथक को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की एफआइआर के आधार पर ईडी ने 2016 में नाइक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया था।